

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर मध्यप्रदेश

-:विविध संशोधन आदेश:-

क्रमांक 16/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./सां.अनु./19

ग्वालियर, दिनांक 06-02-2025

प्रशासनिक कार्य सुविधा को दृष्टिग रखते हुए कार्यालयीन विविध आदेश क. -124/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 08.09.2023 एवं आदेश क. -123/एक-11-1/कार्य.विभा.पत्र./19 दिनांक 08.09.2023 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. विविध आदेश क. 32 दिनांक 08.02.24 के पृष्ठ क. 05 के सरल क. 17 के पश्चात् 17-अ के रूप में नवीन पैरा निम्नानुसार जोड़ा जाता है:-

17-अ. षष्ठम जिला न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण षष्ठम जिला न्यायाधीश के सिविल प्रकरण से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियाँ श्री अजय सिंह, चौबीसवे जिला न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किए जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **तेईसवे जिला न्यायाधीश** पर रहेगा, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढ़ते क्रम में प्रभार रहेगा। **चौबीसवे जिला न्यायाधीश** को छोड़कर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लैम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इंचार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।

2. विविध आदेश क. 111 दिनांक 10.05.24 के पृष्ठ क. 02 के सरल क. 64 L को विलोपित किया जाकर सरल क. 64 K के पश्चात् निम्न सारणी प्रतिस्थापित की जाती है:-

क.	न्यायालय का नाम	अवकाश काल में इंचार्ज न्यायालय
64 L	पच्चीसवे व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अति. न्यायाधीश, ग्वालियर
64 L1	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के प्रथम अति. न्यायाधीश, ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अति. न्यायाधीश, ग्वालियर
64 L2	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के द्वितीय अति. न्यायाधीश, ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर

3. विविध आदेश क. 123 दिनांक 08.09.23 के पृष्ठ क. 05 के सरल क. 67 को विलोपित किया जाकर सरल क. 66 के पश्चात् निम्न सारणी प्रतिस्थापित की जाती है:-

क.	न्यायालय का नाम	अवकाश काल में इंचार्ज न्यायालय
67	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा
67 a	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा

उक्त संशोधन आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी माना जावेगा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

ग्वालियर

6/2/25

759

पृष्ठांकन क्रमांक / एक-11-1 / कार्य विभा.नस्ती / सां.अनु. / 19
प्रतिलिपि:-

ग्वालियर, दिनांक 06-2-25

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ-ग्वालियर
3. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी ग्वालियर/डबरा/भितरवार को ई-मेल में माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग काउंटर/पूछताछ केन्द्र, ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अध्यक्ष, उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ, ग्वालियर/डबरा/भितरवार
की ओर ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 7. जे.एस.ए, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय-ग्वालियर
की ओर उपरोक्तानुसार ई-मेल की कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर।
9. ऑफिस मोहरर, जिला न्यायालय ग्वालियर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर